तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय स्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 188, 88 एवं 92ए के अन्तर्गत ग्राम रानीपुरा की खसरा नम्बर 237 रकबा 0.55 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 281 रकबा 0.48 हैक्टर एवं ग्राम पुरा तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 64 रकबा .68 हैक्टर, खसरा मिन नं0 331 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 359 रकबा 2.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 564 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 565 रकबा 2.44 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र की नगद नम्बर 1 व 4 में वर्णित आराजी जो कि पुश्तैनी है जिसमें वादीगण का बराबर–बराबर का हिस्सा है को प्रतिवादी क्रम 1 व 2 किसी भी व्यक्ति को किव्रसय नहीं करे, विक्रय का इकरार नहीं करे किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे । ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि आदि से करावें ।

3. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए हुए वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2017 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 के कायममुकामान को 1/2 – 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए उक्तानुसर पक्षकारान के मध्य विभाजन करने की प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में देवलाल जी के खातेदारी में दर्ज थी उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर फौती इंतकाल तस्दीक किया गया जिसमें देवलाल के अन्य वारिसान गोपाल बाई पत्नी व जानकी लाल पुत्र चतरूबाई पुत्री व चन्द्रकान्ता बाई पुत्री 4/5 हिस्सा तथा मृतक मदनलाल के वारिसान के 1/5 हिस्सा खात दर्ज किया गया । देवलाल की मृत्यु के पश्चात् उनकी बेवा श्रीमती गोपाली बाई तथा पुत्रियॉ चतरूबाई व चन्द्रकान्ता ने उनके हिस्से 1/5, 1/5 को अपीलान्ट के पिता स्व0 जानकी लाल के पक्ष में रिलीज डीड दिनांक 26.08.2008 के जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड को उपंजीयक कोटा के यहॉ पंजीकृत करवाकर अपना हक छोड दिया । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष झूंठा कथन करते हुए 1/2 हिस्सा की डिक्री प्राप्त कर ली जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है । रेस्पोडेन्ट क्रम 6 (1) द्वारा पुनः रिलीज डीड दिनांक 30.06.2009 को नोटरी से प्रमाणित करवाकर अपने हिस्से 1/5 को स्व0 मदनलाल के लडके रामावतार व नरेश के पक्ष में कर दी गई जबकि नोटेरी द्वारा अटेस्ट रिलीज डीड को मान्य करार नहीं दिया जा सकता तथा रजिस्टर्ड रिली डीड के मुकाबले में नल एवं वॉयड होती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई, जवाबदेही एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय

नस्थ न्यायालय ने दावा एंव जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम किये बिना ही र्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार ाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2017 निरस्त फरमाया कर अपीलान्ट को सुनवाई एवं जवाबदेही एवं साक्ष्य दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया जावे और गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्टगण के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अपीलान्ट ने जो ऑब्जेक्शन अपील में उठाए हैं वह अधीनस्थ न्यायालय में नहीं उठाए । प्रस्तुत प्रकरण में चतरू ने रेस्पोडेन्ट के पक्ष में इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया है । अतः अपील मेन्टनेबल नहीं होने से खारिज फरमाई जावे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 02.06.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं साक्ष्य दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादीगण का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया । प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी कम 1/2 चतरू बाई ने वादीगण रेस्पोडेन्ट के पक्ष में इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेन्ट का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की डिक्री पारित करते हुए उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है । अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में जो ऑब्जेक्शन उठाए गये हैं वह अधीनस्थ न्यायालय में नहीं उठाए गये हैं । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 1/1 चतरू बाई ने वादीगण रेस्पोडेन्ट के पक्ष में इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया है ।

10. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2017 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/331

स्वर्गीय जानकी लाल मृतक जरिये कायममुकामान :–

1. रामस्वरूप पुत्र स्व0 जानकी लाल ।
2. ओम प्रकाश पुत्र स्व0 जानकीलाल ।
3. चन्द्र प्रकाश पुत्र स्व0 जानकीलाल ।
4. ममता बाई पुत्री स्व0 जानकी लाल ।
5. प्रेमबाई विधवा पत्नी स्व0 जानकी लाल जाति धाकड निवासीगण राजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. कुन्ती बाई पत्नी स्व0 श्री मदन लाल जाति धाकड निवासी रानीपुरा ।
2. सुमित्रा पत्नी सत्यनारायण पुत्री स्व0 मदनलाल निवासी गंदीफली ।
3. रामावतार पुत्र स्व0 श्री मदनलाल जी निवासी रानीपुरा ।
4. मेनका पुत्री स्व0 श्री मदन लाल जी नाबालिग जरिये वली माता श्रीमती कुन्ती पत्नी स्व0 श्री मदनलाल निवासी दीगोद ।
5. नरेश पुत्र स्व0 श्री मदनलाल नाबालिग जरिये वली माता श्रीमती कुन्ती पत्नी स्व0 श्री मदनलाल निवासी रानीपुरा ।
6. स्वर्गीय देवलाल मृतक जरिये कायममुकामान :–
   - 6/1. चतरूबाई पुत्री स्व0 देवलाल पत्नी नन्दलाल जाति धाकड निवासी कालातलाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   - 6/2. चन्द्रकान्ता पुत्री स्व0 देवलाल पत्नी मोहनलाल जाति धाकड निवासी भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2017 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 297/दावा/2009

1. कुन्ती बाई पत्नी स्व0 श्री मदन लाल जाति धाकड निवासी रानीपुरा ।

...ी सत्यनारायण पुत्री स्व0 मदनलाल निवासी गंदीफली ।
...र पुत्र स्व0 श्री मदनलाल जी निवासी रानीपुरा ।
... पुत्री स्व0 श्री मदन लाल जी नाबालिग जरिये वली माता श्रीमती कुन्ती पत्नी स्व0 श्री ...नलाल निवासी दीगोद ।
...रेश पुत्र स्व0 श्री मदनलाल नाबालिग जरिये वली माता श्रीमती कुन्ती पत्नी स्व0 श्री मदनलाल निवासी रानीपुरा ।

——वादी

बनाम

1 स्वर्गीय देवलाल मृतक जरिये कायममुकामान :–
  1/1. चतरूबाई पुत्री स्व0 देवलाल पत्नी नन्दलाल जाति धाकड निवासी कालातलाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
  1/2. चन्द्रकान्ता पुत्री स्व0 देवलाल पत्नी मोहनलाल जाति धाकड निवासी भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. स्वर्गीय जानकी लाल मृतक जरिये कायममुकामान :–
  2/1. रामस्वरूप पुत्र स्व0 जानकी लाल ।
  2/2. ओम प्रकाश पुत्र स्व0 जानकीलाल ।
  2/3. चन्द्र प्रकाश पुत्र स्व0 जानकीलाल ।
  2/4. ममता बाई पुत्री स्व0 जानकी लाल ।
  2/5. प्रेमबाई विधवा पत्नी स्व0 जानकी लाल जाति धाकड निवासीगण राजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा .के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 28.02.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप मेहरा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री हुकुम चन्द जैन, श्री रामप्रसाद वर्मा के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिक्री आज तारीख 28.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा